न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 369 / 2025

राजेन्द्र सिंह भाटी, पता : माँ बाला सती लॉ एसोशियेटस्, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दुगड़ विधालय रोड़, मुख्य बाजार, सरदारशहर जिला चुरू पिन कोड 331403 मो.न. 9982442221

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 29.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 369 / 2025 पर दिनांक 08.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 4163–64 दिनांक 08.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2025 / 1194 दिनांक 29.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी उक्त सूचना का संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2025 / 325 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा तहसीलदार चिड़ावा को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी उक्त सूचना का संबंध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2025 / 325 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा तहसीलदार चिड़ावा को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा संबंधित को अपीलार्थी का आवेदन नियमानुसार अन्तरित कर दिया था। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं